

प्रेस नोट दिनांक-17.10.2025

थाना चकिया जनपद चन्दौली

 थाना चकिया पुलिस द्वारा 25000/ रुपये का इनामिया अन्तर्राज्यीय गैंगस्टर एक्ट में वांछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप०) दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह के नेतृत्व में दिनांक 17.10.2025 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा वांछित इनामिया अभियुक्त राहुल त्रिगुन पुत्र नित्यानन्द त्रिगुन निवासी खीरी थाना राजपुर जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 28 वर्ष सम्बन्धित मु०अ०सं०-342/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 429 भादवि को समय 10.10 बजे मुहम्मदाबाद नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राहुल त्रिगुन पुत्र नित्यानन्द त्रिगुन निवासी खीरी थाना राजपुर जनपद बक्सर बिहार।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

- मु०अ०सं०-342/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० व 429 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु०अ०सं०-132/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गहमर जनपद गाजीपुर।
- मु०अ०सं०-37/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

विवरण गिरफ्तार:-

गिरफ्तारी का स्थान:- मुहम्मदाबाद नहर पुलिया ग्राम मुहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का समय:- समय 10.10 बजे दिनांक:- 17.10.2025

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- उ०नि० रामाप्रसाद यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- उ०नि० इन्द्रासन यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।